तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में ...
19.1.21	उभय पक्ष ... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 19.2.21 को पेश हो। ✓ रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
19.2.21	पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण एंव पैरोकार सरकार उपस्थित, तहसीलदार मांडल द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई एंव पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसे शा० प० किया गया। वकील वादीगण ने बहस करनी चाही। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, पटवारी रिपोर्ट एंव पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम थावोला पटवार हल्का बावड़ी तहसील मांडल मे स्थित होकर प्रार्थीगण जमना पिता प्यारचन्द व निरमा पिता प्यारचन्द के नाम संयुक्त खातेदार हक से दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2072-2075 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजो एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण का नाम जमना पिता प्यारचन्द के बजाय जगदीश पिता प्यारचन्द व निरमा पिता प्यारचन्द के बजाय नारायणी पुत्री प्यारचन्द नाम अंकित करवाना चाहते है, जिसकी ताईद प्रस्तुत आधार कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, ... खाता की फोटो प्रति, संवत 2071-2074 की जमाबंदी की फोटो प्रति, पेन कार्ड की फोटो प्रति आदि से होती है उसके अनुसार प्रार्थीगण अपना नाम जमना पिता प्यारचन्द के बजाय जगदीश पिता प्यारचन्द एंव निरमा	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:00:53 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इमिज़ (?)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पिता प्यारचन्द के बजाय नारायणी पुत्री प्यारचन्द अंकित कराना चाहते है। ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, अत: :: आदेश :: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थाबोला पटवार हल्का बावड़ी तहसील माण्डल जिला -भीलवाड़ा मे स्थित खाता संख्या 26 मे आराजी नम्बर 1303/868 रकबा 02 बीघा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण का नाम जमना पिता प्यारचन्द के बजाय जगदीश पिता प्यारचन्द व निरमा पिता प्यारचन्द के बजाय नारायणी पुत्री प्यारचन्द नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है. उसी अनुसार भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.14 16:09:53 IST
Reason: SelfAttested